# भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार का कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी जो अवर सचिव के पद से नीचे का न हो द्वारा भरा जाना है)

14. राज्य सरकार की सिफारिशें

(उपर्युक्त भाग–ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी पर विशेष रूप से टिप्पणी की जानी है)

तारीख : ........................

स्थान :........................

हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम ......................

(सरकारी मोहर)

# फार्म 'क'

## भाग – 1

(प्रस्तावक द्वारा भरे जाने के लिए)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा –2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने सम्बन्धी फार्म

परियोजना का विवरणः–

1.

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण | – | **जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चित्तौर घाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।**<br>शासनादेश सं0 7003 / III(2) / 18–23 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 18.12.2019 लम्बाई 6.00 किमी0, लागत रू0 29.04 लाख। |
| (ii) | 1 : 50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप | – | संलग्नक – 7 पर संलग्न है। |
| (iii) | परियोजना की लागत | – | **रू0 29.04 लाख** |
| (iv) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य | – | स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना, पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु। |
| (v) | लागत लाभ विश्लेषण | – | उक्तानुसार |
| (vi) | रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है | – | पर्यटन में वृद्धि होगी जिससे रोजगार पैदा होगें। स्थानीय किसानों को अपने उत्पाद मण्डी तक पहुँचाने की सुविधा उपलब्ध होगी। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण | | स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु। |
| 3. | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण | | |
| | (i) परिवारों की संख्या | – | कोई नहीं |
| | (ii) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या | – | कोई नहीं |
| | (iii) पुर्नवास योजना | – | आवश्यकता नहीं |
| 4. | क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गम मंजूरी आवयश्क है ? | – | नहीं |
| 5. | प्रति पूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण, दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता। | – | संलग्नक – पर संलग्न है। |
| 6. | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्योरा | – | संलग्न है। |

स्थान :– ऋषिकेश

दिनांक :– 31-01-2020

सहायक अभियन्ता
अ0 खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

(विपुल कुमार सैनी)
अधिशासी अभियन्ता
अ0 खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश



E:\my doc\Ameen\Kalimaati Proposal.docx

| | | |
|---|---|---|
| (iv) | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय। | |
| (v) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) | |
| 11. | उप वन संरक्षक, की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम–7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें) | |
| 12. | विभाग/जिला प्रोफाइल | |
| (i) | 1– जिले का भौगोलिक क्षेत्र | |
| (ii) | 2– जिले का वन क्षेत्र | |
| (iii) | 3– मामलों की सं0 सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र | |
| क | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | |
| ख | वनेत्तर भूमि पर | |
| | 4– प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति | |
| | क– वन भूमि पर | |
| | ख– वनेत्तर भूमि पर | |
| 13. | प्रस्ताव की स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, की विशेष सिफारिश। | |

दिनांक ....................

उप वन संरक्षक
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

स्थान – देहरादून

## भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार का कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी जो अवर सचिव के पद से नीचे का न हो द्वारा भरा जाना है)

14. राज्य सरकार की सिफारिशें

(उपर्युक्त भाग–ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी पर विशेष रूप से टिप्पणी की जानी है)

तारीख : ........................

स्थान :........................

हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम ......................

(सरकारी मोहर)

## भाग–।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है) प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

| | | |
|---|---|---|
| 7. | परियोजना स्कीम का स्थान | |
| (i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | |
| (ii) | जिला | |
| (iii) | वन प्रभाग | |
| (iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूनि का क्षेत्र (हैं0 में) | |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति | |
| (vi) | हरियाली का घनत्व | |
| (vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नान) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0, एफ0आर0एल0–2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर की संलग्न की जाय। | |
| (viii) | भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी | |
| (ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी। | |
| (x) | क्या क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबधित की जाय) | |
| (xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पायी जाती है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | |
| (xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें। | |
| 8. | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं। | |
| 9. | क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हां , तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उत्तरांचल सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे है। | |
| 10. | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा | |
| (i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभि निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। | |
| (ii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैंप। | |
| (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। | |

# भाग–III

## (सम्बन्धित वन संरक्षक, द्वारा भरा जाना है)

10. क्या व स्थल जहॉ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है का सम्बन्धित वन संरक्षक, द्वारा निरीक्षण किया गया है। (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किए गये है को संलग्न करें।

11. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक, भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक, की सिफारिशों से सहमत है।

12. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक, की विशेष सिफारिशें।

तारीख : ......................

स्थान :......................

हस्ताक्षर

नाम ......................................

सरकारी मोहर

# भाग–IV

**(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है)**

13. टिपण्णी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राज्य और विशेष सिफारिशें।

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रूप में समीक्षा की जानी चाहिये और उस पर टिप्पणियाँ दी जानी चाहिये)

तारीख : ........................

स्थान :........................

**हस्ताक्षर**

नाम एवं पदनाम ......................

(सरकारी मोहर)